<u>ऋण पुनःवित्तीयन नीति</u>

यह नीति सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के ऋणकर्ताओं के विद्युत क्षेत्र में चालू परियोजना की वर्तमान परियोजना सावधि ऋण के पुनःवित्तीयन हेतु सावधि ऋण बढ़ाने के लिए है।

पीएफ़सी उस परियोजना सावधि ऋण के पुनःवित्तीयन पर विचार करेगा जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो:

- संपूर्ण परियोजना ने सीओडी को प्राप्त कर लिया हो एवं सीओडी के बाद कम से कम 6 महीने के लिए वाणिज्यिक प्रचालन में हो।
- आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती ठीक 6 महीनों की अवधि के दौरान सभी ऋणदाताओं के वित्तीय खातों में ऋण परिसंपत्ति 'मानक' परिसंपत्ति होनी चाहिए।

पीएफ़सी वहां वित्तीय सहायता पर विचार नहीं करेगा जहां ऋणकर्ता पीएफ़सी द्वारा स्वयं स्वीकृत मौजूदा सुविधा के पूर्वभुगतान/ परिवर्तन के लिए नई वित्तीय सहायता का अनुरोध करता है।

निम्नलिखित शर्तें भी पूरी की जाएं:

- वितरण के शुरू होने से पहले बैंक(कों)/ वित्तीय संस्थान(नों)/ एनबीएससी(एस) जिनके ऋणों का पुनःवित्तीयन किया जा रहा है, उनसे सहमति/एनओसी अपेक्षित है।
- वितरण के शुरू होने से पहले बैंक(कों)/ वित्तीय संस्थान(नों)/ एनबीएससी(एस) जिनके ऋणों का पुनःवित्तीयन किया जा रहा है, से **बकाया ऋण शेष** का पुष्टिकरण प्राप्त किया जाएगा।

- ऋणकर्ता सुनिश्चित करें कि ऋण पुनःवित्तीयन के लिए सीएलए में निर्धारित सभी शर्तों, स्वीकृति की शर्तों, टीआरए करार इत्यादि का अनुपालन किया गया है।

फंडिंग की सीमा बैंक(कों)/ वित्तीय संस्थान(नों)/ एनबीएससी(एस) के **बकाया ऋण मूलधन** तक सीमित रहेगी। इसके अतिरिक्त, इसको पीएफ़सी के प्रूडेंशियल एक्सपोजर नॉर्म्स एवं वित्तपोषित की जा रही परियोजना के प्रकार की जोखिम अवधारणा (ग्रेडिंग) के साथ लिंक किया जाएगा।

बैंक(कों)/ वित्तीय संस्थान(नों)/ एनबीएससी(एस) जिनके ऋणों का पुनःवित्तीयन किया जा रहा है, को सीधे तौर पर फंड का भुगतान किया जाएगा।

सभी जोखिमों के मूल्यांकन एवं परियोजना नकदी प्रवाह की प्रकृति पर निर्भर रहते हुए पुनर्भुगतान को फ्रंट लोडेड, बैक लोडेड, समान आवधिक किश्तों (जैसे कि ईक्यूआई,ईएमआई), विस्फारण, आदि के रूप में संरचित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, ऋण एवं ब्याज के पुनर्भुगतान पर कोई भी **रोक** नहीं होगी।

ब्याज दर एवं वित्तीय प्रभार मौजूदा नीति के अनुसार होंगे।